ग्राम पंचायत कोहाला, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश क`लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 **प्रस्तावनाः—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कोहाला, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुनिता देवी	1.4.2014 से 31.3.2017

सचिवः—

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री संजीवन कुमार	1.4.2014 से 23.11.2016
2	श्री दिनेश कुमार	24.11.2016 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत कोहाला जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्रमांक	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	—
2	7	हस्तगत राशि पर दण्ड ब्याज की वसूली न करना	—

3	11	अनुदान राशियों का अवरोधन	16.51
4	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	05.21

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत कोहाला, विकास खण्ड कांगड़ा जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 17.8.2017 से 23.8.2017 तक ग्राम पंचायत कोहाला के कार्यालय में किया गया। लेंखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 03/2015, 02/2016, 02/2017 व 02/2015, 11/2015, 03/2017 का चयन किया गया जिनके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत कोहाला, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 22.8.2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत कोहाला से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत कोहाला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

4.1 स्वः स्त्रोतः–

ग्राम पंचायत कोहाला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्वः स्त्रोतों (खाता–क) की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है।

वर्ष	**अन्तशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014–15	78760.21	81380	160140.21	34025	126115.21
2015–16	126115.21	56050	182165.21	128818.85	53346.36
2016–17	53346.36	113526	166872.36	82974.86	83897.50

4.2 अनुदानः–

ग्राम पंचायत कोहाला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता–ख) का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 तथा 2** में भी दिया गया है।

वर्ष	**अन्तशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014–15	649588.30	3188685	3838273.30	3477412	360861.30
2015–16	360861.30	4068482	4429343.30	3602109	827234.30
2016–17	827234.30	3612083	4439317.30	2788445	1650872.30

5 बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत कोहाला का अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से हैः–

(क) दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही के अनुसार शेषः–

स्वः स्त्रोत	₹83897.50
अनुदान	₹1650872.30
कुल योग	₹1734769.80

(ख) दिनांक 31.3.2017 को बैंक के अनुसार शेष

खातों के अनुसार	1734749
हस्तगत राशि	20.80

कुल योग	1734769.80
अन्तर	शून्य

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः—

6.1 रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न करनाः—

ग्राम पंचायत कोहाला की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) की रोकड़ बही के लेखांकन में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। ग्राम पंचायत कोहाला की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार प्रतिदिन हुए लेन—देन की प्रविष्टियों उपरान्त अन्तशेष निकाला गया है परन्तु मासान्त व वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण नियमानुसार पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत कोहाला में रोकड़ बही के रख—रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई हैं।

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 17.8.2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत कोहाला को सूचित किया गया था परन्तु उक्त अंकेक्षण अधियाचना का कोई भी सन्तोषजनक उत्तर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।

7 हस्तगत ₹2010 का अस्थाई दुरूविनियोजन करने उपरान्त दण्ड ब्याज की वसूली न करने बारेः—

ग्राम पंचायत कोहाला की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि सचिव ग्राम पंचायत के पास हस्तगत ₹2010 थी जिसका अस्थाई दुरूविनियोजन किया गया प्रतीत होता है तथा राशि को पंचायत निधि में विलम्ब से जमा करवाया गया जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। विलम्ब से जमा करवाई गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	हस्तगत रााशि	जमा करवाई गई राशि का विवरण	बकाया राशि	हस्तगत राशि की अवधि	दण्ड ब्याज की वसूली योग्य अवधि
1	2010	—	2010	9.6.11 से 4.3.15	3 वर्ष 9 माह

2	2010	1000 रसीद संख्या 91883 दिनांक 5.3.15	1010	5.3.15 से 18.6.15	104 दिन
3	1010	1010 रसीद संख्या 46145 दिनांक 18.6.15	—	—	—

अतः उपरोक्त विवरणानुसार विलम्ब से जमा की गई हस्तगत राशि पर दण्ड ब्याज की वसूली सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत कोहाला से करके पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा की गई आपेक्षित कार्यवाही की अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप—8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक भाग आय व दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन देनों के लिए अलग—2 प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाये जाने का मुख्य उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत कोहाला द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत में आय तथा व्यय के आंकडों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ में आय—व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का विवरण तैयार करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है।

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 17.8.2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत कोहाला को सूचित किया गया था परन्तु उक्त अंकेक्षण अधियाचना को कोई भी सन्तोषजनक उत्तर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

9 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	राशि (₹) में
1	17.3.2015	1494
2	18.3.2015	2869
3	21.3.2015	1462
4	16.5.2015	4047
5	31.8.2015	2200
6	8.9.15	1611
7	8.12.15	1980
8	26.12.15	4950
9	30.12.15	3997
10	30.1.16	3289
11	28.2.16	7251
12	18.3.16	2141
13	8.7.16	11407

10 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप—11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

11 अनुदान की ₹16.51 लाख का अवरोधनः—

पंचायत द्वारा परिशिष्ट—1 व 2 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹1650872 उपयोग हेतु शेष थी। यदि इन्ही परिशिष्टों में उपलब्ध आंकड़ों का विशलेषण किया जाए तो यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि अवरोधित अनुदान राशियों की मात्रा प्रति वर्ष पढ़ती ही जा रही है। जहां 31.3.2015 को यह ₹360861 थी वहीं 31.3.2017 तक यह बढ़ कर ₹1650872 हो गई है। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम प्राधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.21 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित

है। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹521182 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदाओं द्वारा किया गया है परन्तु नियमानुसार निविदा सम्बन्धी अन्य औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की गई है जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 17.8.2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत कोहाला को सूचित किया गया था परन्तु अंकेक्षण के दौरान उक्त अंकेक्षण अधियाचना का सन्तोषजनक उत्तर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

13 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों का रख रखाव नहीं किया जा रहा था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। रजिस्टरों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1) स्टॉक रजिस्टर

2) चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर

3) जल प्रभार रजिस्टर

4) भवनों व दुकानों के किराये से सम्बन्धित रजिस्टर

5) अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर

6) अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर

7) गृहकर वसूली रजिस्टर

8) डाक–टिकट रजिस्टर

9) निर्माण कार्यों का रजिस्टर

10) आय रसीदों का स्टॉक रजिस्टर इत्यादि

14 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, जबट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई भण्डार का रजिस्टरों में इन्द्राज किया गया है और न ही प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में आपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 विविध अनियमितताऐंः—

15.1 ग्राम पंचायत कोहाला द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत कोहाला द्वारा नहीं की जा रही है।

15.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर बिक्रीकर लेबर सैस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

15.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62 (1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत कोहाला में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित वाउचर बिलों की जाँच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

17 **निष्कर्षः–** लेखों के रख–रखाव में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखों के रख–रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 126/2017–खण्ड–1–1386–1389 दिनाँक 22.02.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कांगड़ा जिला काँगड़ा, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत कोहाला, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881